राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक

दूरभाष नं. 01432–247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

दिनांक :– 19.2.2020

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2020 / 269

निदेशक,
निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक की तहसील टोंक में बनास नदी क्षेत्र पुरानी फेजर पुल शिवपुरी मार्ग पर राजस्व ग्राम सराय की सीमा में स्थित खातेदारी भूमि में अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया है उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी के मात्रा 2940 टन जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक, निविदाए, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिलास्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

भवदीय
19/2/2020
(मलिक उस्तर)
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक
दिनांक 19.2.2020

क्रमांक खअ / जय / निविदा / 2019 / 270–278

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक टांक
3. श्रीमान निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को निवेदन है कि नियमानुसार उचित लेखाधिकारी निविदा के निस्तारण हेतु नियत तिथी को उपलब्ध कराने का श्रम करावे।
5. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र ,जयपुर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर।
8. श्रीमान खनि अभियन्ता, जयपुर ।
9. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।

19/2/2020
सहायक खनि अभियन्ता
टोंक

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432–247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2020 / 286 दिनांक :– 19.2.2020

नीलामी सूचना प्रकाशन 02 / 2019–20

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक की तहसील टोंक में बनास नदी क्षेत्र पुरानी फ्रेजर पुल शिवपुरी मार्ग पर राजस्व ग्राम सराय की सीमा में स्थित खातेदारी भूमि में अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया है उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी के मात्रा 2940 टन जप्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रू. 1,000 / – का डी.डी. / बैंकर्स चैक ''सहायक खनि अभियन्ता, टोंक'' के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18 मार्च 2020 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 18 मार्च 2020 (सांयकाल 4.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 19 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

सहायक खनि अभियन्ता टोंक

Scanned by CamScanner

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
दूरभाष नं. 01432–247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2020 / 279

दिनांक :– 19.2.2020

जिला टोंक की तहसील टोंक में बनास नदी क्षेत्र पुरानी फ्रेजर पुल शिवपुरी मार्ग पर राजस्व ग्राम सराय की सीमा में स्थित खातेदारी भूमि में अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया है उक्त जब्तशुदा खनिज बजरी के मात्रा 2940 टन की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 18 मार्च 2020 (सायंकाल 4.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। **प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर –1 में खोली जायेगी,** जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रम सं.	पुलिस थाने का नाम जहां जप्त बजरी पडी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	जिला टोंक की तहसील टोंक में बनास नदी क्षेत्र पुरानी फ्रेजर पुल शिवपुरी मार्ग पर राजस्व ग्राम सराय की सीमा में स्थित खातेदारी भूमि में तीन अलग अलग ढेरियो के रूप में पडे हुए जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक	2940	161700	1617000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 18 मार्च 2020 (सायंकाल 4.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता, टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 19 मार्च 2020 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से नियत समायावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

Scanned by CamScanner

10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिहवन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियॉ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नही होगा।
21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथकिता दी जावेगी।

(हस्ताक्षर) 19/2/2020
(मलिक उस्तर)
सहायक खनि अभियन्ता टोक

क्रमांकः– सखअ/टोंक/नीलामी/2019/280-285 दिनांक : 19.2.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर टोंक।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर) 19/2/2020
सहायक खनि अभियन्ता टोंक

Scanned by CamScanner